न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०प्र० 12003 पुनरावलोकन

श्रीमती विमला राय पत्नी स्व0 श्री दिलबाग राय, स्टेशन रोड सिवनी (म0प्र0) -- आवेदक

विरुद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन

2- मेजर जनरल डी0 आर0 दत्त (सेवानिवृत्त) 102-~~.....~~ सुखरिका इन्क्लेव, नई दिल्ली

------ अनावेदकगण

पुनरावलोकन आवेदन अन्तर्गत धारा-51 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 29-3-2003 पारित द्वारा श्री सी0 एल0 अहमे, सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0प्र0 327-दो।99 पुनरीक्षण.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत करती है :-

(1) यह कि इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में ऐसी भूल हुयी है जो प्रकरण के अभिलेख को देखने तथा विवादित आदेश को पढने मात्र से स्पष्ट है ।

(2) यह कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा-110 के अन्तर्गत आदेश पारित करते हुये आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया था । तहसील न्यायालय का आदेश अपील योग्य था । अनावेदक-2 द्वारा कोई अपील कभी भी नहीं की गयी । ये तथ्य अविवादित है ।

(3) यह कि इस माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदक की ओर से पुनरीक्षण में ये आधार उठाये गये थे कि जब अनावेदक को नामांतरण की जानकारी

---- 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 673–चार/2003 जिला –सिवनी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–05–16	आवेदक की ओर से श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये। अनावेदक को रजिस्टर्ड डांक से सूचना दी । सूचना बाद अनुपस्थित। उनके विरूद्ध पूर्व से एकपक्षीय कार्यवाही पूर्व से है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 327–दो–/1999 आदेश दिनांक 29.3.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 673–चार/2003 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 327–दो/99 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 29.3.2003 से किया जा चुका है। रिव्यु प्र0क0 673–चार/2003 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–	

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों।

सदस्य